अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी एवं सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका

Volume 8, Issue 4, (Oct-Dec 2020)
Impact Factor: 5.659 [ISSN: 2348 - 2605]
Peer Reviewed Refereed शोध पत्रिका

''राष्ट्रभाषा हिन्दी और उसका भविष्य''

डॉ0 शशि बाला रावत / पंवार

हिन्दी विभाग रा0 स्ना0 महा0 अगस्तमुनि

जिला–रूद्रप्रयाग–(उत्तराखण्ड)

निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल।

बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल।।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे परस्पर व्यवहार के लिये भाषाई माध्यम् की आवश्यकता होती हैं किन्तु भाषा सिर्फ विचारों के संप्रेषण का माध्यम् न होकर सामाजिक मनुष्य के संप्रेषण का ऐसा माध्यम हैं जिसकी सहायता से वह विशेष परिस्थिति में विशिष्ठ प्रयोजन की सिदि्ध हेतु उसका प्रयोग करता हैं। भाषा एक सामाजिक यथार्थ हैं जिसका विकास मानव के सामाजिक जीवन के विभिन्न उदेश्यों की पूर्ति के लिये होता हैं। अब हिन्दी केवल साहित्यिक और बोल–चाल की भाषा न रहकर विभिन्न क्षेत्रों मे अपनी उपादेयता के कारण विभिन्न प्रयोजनों की भाषा बन गई हैं। भारतीय संविधान के रचनाकारों ने संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी निर्धारित की हैं। सन् 1910 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। महामना पं0 मदनमोहन मालवीय, पुरूषोत्तमदास टंडन प्रभूति ने हिन्दी भाषा और साहित्य के विकास को दृष्टिगत रखते हुए इस संस्था की स्थापना की परन्तु सारे देश को एक सूत्र में जोड़ने के लिए एक राष्ट्रभाषा की परिकल्पना करने वाले माननीय व्यक्तियों में आचार्य केशवचन्द्र सेन, स्वामी दयानन्द सरस्वती, महात्मा गॉधी, सुभाषचन्द्र बोस, इत्यादि के नाम आदर के साथ स्मरण किये जा सकते हैं। भारत एक बहुभाषी देश है किन्तु समस्त देश को एक सूत्र में बॉधने के लिये राष्ट्र के कर्णधारों ने जिस भाषा का चयन किया था वह हिन्दी थी। इसमें संदेह नही हैं कि हमारे देश में कई भाषायें हिन्दी से अधिक प्राचीन और समृद्ध हों

Volume 8, Issue 4, (Oct-Dec 2020)
Impact Factor: 5.659 [ISSN: 2348 - 2605]
Peer Reviewed Refereed शोध पत्रिका

किन्तु वे एक सीमित क्षेत्र की भाषा होने के कारण पूरे देश की सम्पर्क भाषा के रूप मे काम नहीं कर सकती। महात्मा गॉधी ने राष्ट्रीय एकता के लिये राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी की पहचान की, और उसे स्वतन्त्रता आन्दोलन का सशक्त माध्यम बनाया। भारत सरकार ने निसंदेह समय–समय पर वे सभी कदम उठाए जो हिन्दी को देश की राजभाषा के रूप में विकासित करने के लिये आवश्यक थे। तकनीकी और पारिभाषिक शब्दों के चयन और निर्माण के लिये वर्ष 1961 में तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। सन् 1918 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का आठवॉ अधिवेशन इंदौर में सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन के सभापति महात्मा गांधी थे। उस अधिवेशन में महात्मा गॉधी जी ने राष्ट्रभाषा की स्पष्ट व्याख्या की और हिन्दीतर प्रदेशों में उसके प्रचार की आवश्यकता पर जोरदार शब्दों में समर्थन किया। उन्होंने कहा था ''साहित्य का प्रदेश भाषा की भूमि जानने पर ही निश्चित हो सकता हैं। यदि हिन्दी भाषा की भूमि सिर्फ उत्तर प्रांत होगी तो साहित्य का प्रदेश संकुचित रहेगा। हिन्दी भाषा राष्ट्रीय भाषा होगी तो साहित्य का विस्तार भी राष्ट्रीय होगा। जैसे भाषक वैसी भाषा। भाषा सागर में स्नान करने के लिये पूर्व–पश्चिम, दक्षिण–उत्तर से पुनीत महात्मा आयेंगे तो सागर का महत्व स्नान करने वालों के अनुरूप होना चाहिये। इसलिये साहित्य की दृष्टि से भी हिन्दी का स्थान विचारणीय हैं।

गॉंधी जी ने राष्ट्रभाषा और प्रान्तीय भाषाओं की चर्चा करते हुए अपना दृढ़ निश्चय प्रकट किया था कि मेरा दृढ़ अभिप्राय है कि जब तक हम भाषा को राष्ट्रीय और अपनी–अपनी प्रान्तीय भाषाओं को उनका योग्य स्थान नही देंगे–तब तक स्वराज्य की सब बातें निरर्थक है। हिन्दुस्तान को अगर सचमुख एक राष्ट्र बनाना हैं तो चाहे कोई माने या न माने राष्ट्रभाषा हिन्दी ही बन सकती हैं क्योंकि जो स्थान हिन्दी को प्राप्त हैं वह किसी दूसरी भाषा को कभी नही मिल सकता है। गॉधीजी ने न केवल हिन्दी को एक राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहा, बल्कि वे उसे व्यापार, वाणिज्य, न्याय तथा प्रशासन की भी भाषा बनाने के पक्षधर थे वह अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को प्रतिष्ठित करना चाहते थे। गॉधीजी मातृभाषा के प्रबल समर्थक थे परन्तु साथ ही वे विश्व की अन्यान्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने पर भी जोर देते थे। उनका प्रबल विश्वास था कि मातृभाषा के माध्यम् से

अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी एवं सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
Volume 8, Issue 4, (Oct-Dec 2020)
Impact Factor: 5.659 [ISSN: 2348 - 2605]
Peer Reviewed Refereed शोध पत्रिका

अपने चिंतन का स्पष्ट अभिव्यक्तिकरण हो सकता हैं। भाषा के सम्बन्ध में गांधी जी ने समय–समय पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। कि युवक और युवतियों को अंग्रेजी और दुनिया की दूसरी भाषाएं खूब पड़े। लेकिन उनसे मैं आशा करूँगा कि वे अपने ज्ञान का प्रसाद भारत को सारे संसार को उसी तरह प्रदान करेंगे जैसे बोस, राय, और स्वयं की व रवीन्द्रनाथ ने प्रदान किया था।

जब तक हिन्दी को रोजी रोटी के साथ नही जोड़ा जायेगा तक तक इसके सम्पूर्ण कार्यान्वयन की आशा करना व्यर्थ हैं। हिन्दी को अंग्रेजी के समान सभी क्षेत्रों में जब तक उसके विकास सपना देखना मृग–मरीचिका के समान होगा। हिन्दी में प्रशिक्षित स्नातकों को भी प्रतिष्ठा नही मिलेगी। तब तक अंग्रेजी में प्रशिक्षित स्नातकों को प्रतिष्ठा नहीं मिलेंगी। समकक्ष सभी पदों पर नियुक्ति होनी चाहिये जब तक हिन्दी चाहिये जब तक हिन्दी की उपेक्षा शासन के स्तर पर होगी तब तक हिन्दी का भविष्य उज्ज्वल नही हैं। हिन्दी राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता की कड़ी हैं। इस कड़ी को हम जितना मतबूत बनाएंगे उतनी ही सक्षमता के साथ वह भारतवासियों के दिलों में अपना स्थान बना सकती हैं। राष्ट्रभाषा हिन्दी ही इस देश के नागरिकों में राष्ट्रीय एकता व स्वाभिमान जाग्रत कर सकती हैं। बिना राष्ट्रभाषा के कोई भी राष्ट्र अपने को सम्पूर्ण रूप में अभिव्यक्ति नही दे सकता।

राष्ट्रभाषा की अवहेलना करना राष्ट्रध्वल, राष्ट्रगीत, संविधान की अवहेलना करने के समान हैं। इस देश के सम्मानित नागरिक होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य हो जाता हैं कि वह संविधान सम्मत राष्ट्रभाषा का आदर करें और इसे अपना वास्तविक स्थान प्रदान करने में अपनी भूमिका का निर्वाह करें। इस राष्ट्रीय यज्ञ में साथ देना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य हैं। वैश्विकीकरण के संदर्भ में जहॉ तक हिन्दी भाषा का सम्बन्ध है। हिन्दी न सिर्फ भारत की राजभाषा एवं सम्पर्क भाषा है वरन् विश्व में बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा हैं। आर्थिक उदारीकरण और मुक्त विश्व व्यापार प्रणाली के कारण उसका वैश्विकीकरण हो रहा हैं। भाषा के सौन्दर्यमूलक आयाम में भाषा सर्जनात्मक होती हैं। जिसका विकास साहित्यिक भाषा के रूप में होता हैं। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक,

समालोचना आदि साहित्यिक विधाओं में भाषा का यह रूप प्रकट होता हैं। भाषा के दूसरे रूप का संबंध हमारी सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति से हैं। जो व्यक्तिपरक होकर भी समाज सापेक्ष होती हैं। इसमें भाषा किसी उद्देश्य विशेष या कार्याविशेष के लिए प्रयुक्त होती हैं। अतः हिन्दी भाषा किसी विशेष वर्ग, सम्प्रदाय या क्षेत्र की भाषा नही हैं। हिन्दी भाषा का उद्भव तो स्वतन्त्रता संग्राम आन्दोलन की अवधि के दौरान हुआ। देश के विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर विचार–विनिमय के लिये एक भाषा का विकास किया, जिसे हिन्दी के नाम नागरिकों के लिये भाषा का प्रश्न एक भावनात्मक मुद्दा हैं। भाषा में भी एकबद्ध करने की महान शक्ति हैं और यह राष्ट्रीय एकता के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हैं। लोकतंत्र में किसी भी भाषा को जनता की इच्छा के विरूद्ध नही थोपा जा सकता हैं, भाषा विचार और अभिव्यक्ति का साधन मात्र नहीं हैं। बल्कि उच्चतर स्तर पर न्यायाधीशों के लिए उनके निर्णय देने की प्रक्रिया का एक अभिन्न भाग हैं। हम सभी के मन में यह सवाल कचोटता हैं कि आखिर हमारी राष्ट्रभाषा के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो कारण हैं वह यह है कि अमेरिका जैसे तमाम बड़े देश अपना व्यापार समूचे संसार में फैला देना चाहते हैं। हिन्दी के प्रति उदासीनता का एक कारण यह भ्रम भी है कि कम्प्यूटर आने से अब सारा कामकाज अंग्रेजी में ही होगा। जबकि कम्प्यूटर की कोई भाषा नही होती। उस पर किसी भी भाषा में काम किया जा सकता है। जब कम्प्यूटर का पदार्पण भारत में हो रहा था हमने तभी इसे अंग्रेजी और हिन्दी में साथ–साथ लाने का प्रयत्न नही किया। यदि केन्द्रीय सरकार इसके हिन्दी फांट भी साथ–साथ उपलब्ध करा देती। भले ही कुछ समय और लग जाता तो कम्प्यूटर पर केवल अंग्रेजी का ही वर्जस्व स्थापित न होता किन्तु अभी तो देर नहीं हुए हैं। कर्मचारियों को कम्प्यूटर पर हिन्दी में काम करने के लिये प्रेरित किया जाय और कोई भी कम्प्यूटर केवल अंग्रेजी के लिये न खरीदा जाए। हिन्दी आज विश्व भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हैं। संसार में सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली सबसे बड़ी भाषाओं में हिन्दी का स्थान दूसरा हैं। हिन्दी के लिये यह गौरव की बात हैं कि मंगल पर भेजे गये अंतरिक यान पर 'भारत' शब्द देवनागरी में ही अंकित किया गया हैं। हिन्दी को अंग्रेजी के स्थान पर प्रतिष्ठित करने के लिये निश्चित कालावधि निर्धारित की

Volume 8, Issue 4, (Oct-Dec 2020)
Impact Factor: 5.659 [ISSN: 2348 - 2605]
Peer Reviewed Refereed शोध पत्रिका

जाए। और उसमें किसी भी प्रकार का संसोधन न किया जाय। हिन्दी में प्रशिक्षित स्नातकों को केन्द्रीय शासन के समस्त मंत्रालय, विभागों में, निगमों, बैंको, उपक्रमों तथा कार्यालयों में परराष्ट्र मंत्रालयों के अतिरिक्त बिना किसी प्रकार के भेद–भाव के नौकरियॉ दी जाय। संयुक्त राष्ट्रसंघ में हिन्दी को मान्यता दिलाई जाए। जब तक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी को अगर मान्यता नही मिलेगी तब तक हिन्दी की उपेक्षा होती रहेगी। भारत के स्वतंत्र होने पर एक ब्रिटिश पत्रकार ने गॉधीजी से संदेश मांगा तब गांधी जी ने तुरन्त कह दिया था।

''दुनिया से कह दो कि महात्मा गांधी अंग्रेजी भूल गया है'' (महात्मा गांधी के विचार)

गांधी जी राष्ट्रीय अस्मिता के प्रबल पक्षधर थें। वे राष्ट्रभाषा को इतना महत्व देते थे कि किसी

वे राष्ट्रभाषा को इतना महत्व देते थे कि किसी भी मूल्य पर वे भाषा के स्तर पर समझौते के लिए तैयार न थे। गांधीजी सुनहरे भारत के भविष्यद्रष्ट्रा थे वे ऐसे स्वप्नदर्शी थे कि भारत विश्व के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हो। मातृभाषा तथा राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में गांधीजी का दृढ़ निश्चय उनकी वाणी में सर्वत्र मुखरित हुआ हैं। देश के सामाजिक–आर्थिक विकास में भाषा एक महत्वपूर्ण औजारों के रूप में कार्य करती हैं। जनता के सरकारी तंत्र के बीच बेहतर समझ और ताल–मेल का विकास जनता द्वारा व्यापक स्तर पर प्रयुक्त भाषा के माध्यम से ही संभव होता हैं। जनता के बीच राजभाषा के प्रति जितनी जागरूकता पैदा होगी सरकारी–तंत्र भी उसके प्रति उतनी संवेदन शीलता बढ़ेगी। इसलिये देश और समाज के व्यापकहित में राजभाषा हिन्दी के प्रति जनता और सरकारी–तन्त्र दोनों को अधिक से अधिक संवेदनशील और सक्रिय बनाए जाने की आवश्यकता हैं।

संदर्भ ग्रन्थः–

1. प्रयोजनमूलक हिन्दी–विनोद गोदरे–पृष्ठ सं0 14
2. हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास– उदरनारायण तिवारी–पृष्ठ सं0–32
3. हिन्दी भाषा की संरचना–डॉ0 भोलानाथ तिवाड़ी–पृष्ठ सं0–55
4. भाषा विज्ञान–रामदेव त्रिपाठी–पृष्ठ सं0–62
5. हिन्दी का अस्मिता की राजभाषा नीति–रामवीर सिंह–पृष्ठ सं0–60